

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|---|---------|--|
| वादी | ब | प्रतिवादी |
| मदनराज पुत्र मोतीराज रेखावी - कैरपुर | बी म | राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 328/2021

GCMS No. 2021/1135-

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तारीख में जारी
है

13/12/2021

वादी श्री मदनराज पुत्र मोतीराज
जाति रेखावी निवासी कैरपुर द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पोंचवा
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2072-2073
ग्राम कैरपुर पटवार मण्डल पोंचवा के खाता
नम्बर 68 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
मदनलाल पुत्र मोतीराज

दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम मदनराज पुत्र मोतीराज

है,

तथा इसी अनुसार

राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।

जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.

आधार नम्बर 9151-7038-6187

मतदाता पहचान पत्र

अन्य दस्तावेज

की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी पोंचवा भूआनि पोंचवा
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



1337-1338